

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, करौली

क्रमांक:- प.1(21)()सहायता/आ.प्र./मानसून/01047/2024/1981 दिनांक:- 17/10/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2024/RAJKAJ No 8981275 जयपुर, दिनांक 16.07.2024 तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(38)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/RAJ KAJ No 10707065 जयपुर, दिनांक 24.09.2024 तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा से तहसील सपोटरा ब्लॉक सपोटरा के 11 कार्य मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त हुए सडक मरम्मत कार्यों के प्राप्त प्रस्ताव तथा इस हेतु गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की अभिशंषा के आधार पर तत्काल सडक मरम्मत करवाये जाने हेतु निम्न कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

| क्र. सं. | कार्य का विवरण | क्षतिग्रस्त सडक के हिस्से की लोकेशन (कि. मी.) | क्षतिग्रस्त सडक की लम्बाई (कुल कि.मी. मे) | रोड का वर्गीकरण | राशि (लाखों में) |
|----------|--|---|---|-----------------|------------------|
| 1. | सम्पर्क सडक खिरखिरी | 0/0 से 0/700 | 0.700 | ग्रामीण सडक | 0.42 |
| 2. | सम्पर्क सडक औडच | 0/0 से 1/500 | 1.500 | ग्रामीण सडक | 0.90 |
| 3. | सम्पर्क सडक दौलतपुरा | 0/0 से 1/200 एवं 6/0 से 12/800 | 8.00 | ग्रामीण सडक | 4.80 |
| 4. | सम्पर्क सडक सिन्धुपुरा | 0/0 से 1/0 | 1.00 | ग्रामीण सडक | 0.60 |
| 5. | सम्पर्क सडक सिमिर | 0/0 से 1/0 | 1.00 | ग्रामीण सडक | 0.60 |
| 6. | सम्पर्क सडक दौलतपुरा से नौनिया की गुवाडी | 0/0 से 2/0 एवं 3/0 से 5/500 | 4.500 | ग्रामीण सडक | 2.70 |
| 7. | सम्पर्क सडक एकट से रूपपुरा | 0/0 से 2/0 | 2.00 | ग्रामीण सडक | 1.20 |
| 8. | सम्पर्क सडक खेडला से खेडला की झोंपडी | 0/0 से 2/100 | 2.100 | ग्रामीण सडक | 1.26 |
| 9. | सम्पर्क सडक गोरेहार | 0/0 से 3/0 | 3.00 | ग्रामीण सडक | 1.80 |
| 10. | कुडगाँव-सपोटरा से वाढ | 0/0 से | 1.900 | ग्रामीण सडक | 1.14 |

Signature valid

RajKaj Ref
11001245



Digitally signed by Neelabh Saxena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.17 16:44:09 IST
Reason: Approved

Relief Section Room No 105 District Collector Office, Karauli
Email Id - relief-kar-rj@gov.in Telephone No 07464-250205

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------|-------------|-------|
| | भुदर | 1/900 | | | |
| 11. | अमरगड से मोतिपुरा सडक | 0/0 से 3/0 | 3.00 | ग्रामीण सडक | 1.80 |
| राज्य आपदा मोचन निधि से कुल 11 सडक मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत राशि | | | | | 17.22 |

(अंकेन राशि रूपये सत्तरह लाख बाईस हजार मात्र)

उक्त प्रशासनिक स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन जारी की जाती है—

01. राशि का व्यय वर्ष 2024 की अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत पर ही किया जावेगा।
02. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा द्वारा आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावेगी
03. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार किया है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडकों की मरम्मत पर न करे।
04. प्रत्येक कार्य आरम्भ करने से पूर्व क्षतिग्रस्त कार्यों का Geo Tag फोटो एवं प्रत्येक कार्य समाप्ति का Geo Tag फोटो पूर्णता: प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायेंगे।
05. वे सडके जो Defect liability period (D.L.P.) के तहत आती है उनकी मरम्मत S.D.R.F. मद से देय नहीं है।
06. निर्माण कार्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम/सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, सी.आर.एफ. तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाया जावे।
07. उक्त मद से स्वीकृत कार्य विभागीय एवं अन्य किसी योजना से नहीं कराया जावे, तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व ही इसे सुनिश्चित किया जावे कि इन कार्यों का व्यय किसी अन्य योजना से किसी भी परिस्थिति में लेखाकित नहीं किया जावे।
08. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सडक की क्षति वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण ही हुई है, एवं कराये जाने वाले कार्य S.D.R.F. नोर्म्स के अन्तर्गत तात्कालिक/रेस्टोरेशन की परिभाषा की परिधि में आते है।
09. कार्यकारी एजेन्सी मरम्मत कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 30 दिवस में मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाकर उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मय कार्य आरम्भ करने से पूर्व, प्रगतिरत कार्य एवं कार्य समाप्ति के प्रत्येक कार्य का Geo Tag फोटो, माप पुस्तिका की प्रति एवं बिल दो प्रतियों में तैयार कर पृथक-पृथक कार्य का बिल भुगतान हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
10. अत्यधिक वर्षा/बाढ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनरुत्थान में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत की जानी है ना कि नया निर्माण।
11. उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा होगी।

Signature valid

RajKaj Ref
11001245

Digitally signed by Neelabh Saxena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.27 16:44:09 IST
Reason: Approved

12. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावेगी, जब यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।
13. कार्यकारी एजेन्सी स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेंगे।
14. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को कार्य करने की दिनांक तथा कार्य समाप्ति की दिनांक से अवगत कराया जायेगा।
15. कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का प्रमाणीकरण उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण कर कार्य के भौतिक सत्यापन उपरान्त रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व प्रेषित की जावेगी कि कार्य S.D.R.F. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के अभाव में भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे S.D.R.F. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
17. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
18. कार्यकारी एजेन्सी इस कार्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी कर मय Estimate Detail तथा प्रत्येक क्षतिग्रस्त कार्यों का Geo Tag फोटो के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।
19. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2024 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा तहसील एवं ब्लॉक सपोटरा/करौली के अन्तर्गत ही प्रस्तावित सड़क मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्य करवाया जायेगा।
20. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे समस्त कार्य बजट आवंटित किये गये वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं। तात्कालिक Restoration के कार्यों से सम्बन्धित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा। आपदा के समय करवाये गये कार्यों के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
21. प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्यों हेतु आवश्यक बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्स के अनुसार आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर को ऑनलाईन प्रेषित की जावेगी।
22. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर से बजट आवंटन होने पर इस कार्यालय द्वारा बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
23. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सपोटरा द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि

Signature valid

RajKaj Ref
11001245

Digitally signed by Neelabh Saxena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.27 16:44:09 IST
Reason: Approved

वित्तीय स्वीकृति से पूर्व कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी ऐजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सपोटरा की होगी।

24. उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ही मान्य होगी।
25. कार्यकारी ऐजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा यह भी सुनिश्चित करेगी कि महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में प्रस्ताव/अभिलेख सुरक्षित रखें जावें तथा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक:- सम/2024/1982-1993

दिनांक:- 17/10/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु उक्तानुसार 17.22 लाख रुपये मात्र का बजट आवंटन करने का श्रम करें। बजट की मांग ऑनलाईन की जा रही है।
2. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर सम्भाग भरतपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा/करौली।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त करौली।
5. कोषाधिकारी, कोषालय करौली।
6. प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा को प्रेषित कर लेख है कि प्रपत्र-1 में अंकित प्रस्ताव में वे कार्य जो अन्य योजना में स्वीकृत हो चुके हैं उनकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड करौली।
9. सहायक निदेशक, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग करौली।
10. निजी सचिव, जिला कलक्टर करौली।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
करौली

Signature valid

RajKaj Ref
11001245

Digitally signed by Neelabh Saxena
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.17 16:44:09 IST
Reason: Approved